भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2133
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतक

†2133. श्री अ. मनिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत संस्थागत प्रसव, टीकाकरण की कवरेज और पोषण संबंधी हस्तक्षेप सहित क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या तमिलनाडु के धर्मपुरी जैसे जनजातीय या पिछड़े जिलों में एनएचएम के अंतर्गत कोई विशिष्ट हस्तक्षेप किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) तमिलनाडु में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) की जांच और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एनएचएम के अंतर्गत क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत तमिलनाडु में मातृ और बाल स्वास्थ्य संकेतकों जैसे संस्थागत प्रसव, टीकाकरण कवरेज और पोषण से संबंधित हस्तक्षेपों में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- **जननी सुरक्षा योजना(जेएसवाई)** एक मांग संवर्धन और शर्तों पर आधारित नकद हस्तांतरण योजना है, जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव (सिजेरियन सेक्शन सहित) की सुविधा प्रदान करता है। इन सुविधाओं में निःशुल्क दवाएं और उपयोगी वस्तुएं, ठहरने के दौरान निःशुल्क भोजन, निःशुल्क जांच, निःशुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त आधान शामिल है। बीमार शिशुओं के लिए भी समान सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9वीं तारीख को विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित दिन पर निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच प्रदान करता है।

पीएमएसएमए की विस्तारित रणनीति का उद्देश्य विशेष रूप से विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सुनिश्चित करना है और इनकी व्यक्तिगत ट्रैकिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिसमें **पीएमएसएमए**

विज़िट के अलावा अतिरिक्त 3 विज़िट के लिए इन महिलाओं और उन्हें साथ लाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।

- **लक्ष्य– गुणवत्ता सुधार पहल** प्रसव कक्षों और मातृत्व ऑपरेशन थियेटरों में देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है ताकि गर्भवती महिलाओं को प्रसव और प्रसवोत्तर समय में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** का उद्देश्य हर महिला और नवजात को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में नि:शुल्क आश्वासित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जिसमें जीरो टोलेरेन्स की नीति है और इसका लक्ष्य सभी रोके जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु को समाप्त करना है।
- **प्रसवोत्तर देखभाल के अनुकूलन** का उद्देश्य प्रसवोत्तर देखभाल की गुणवत्ता को मजबूत करना है, जिसमें माताओं में खतरे के संकेतों की पहचान पर बल देना और ऐसे उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की समय पर पहचान, रेफरल और इलाज के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना शामिल है।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस** एक आउटरीच गतिविधि है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर होती है और इसमें एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडी) के साथ मिलकर मातृ और बाल देखभाल सहित पोषण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- **बर्थ वेटिंग होम्स (बीडब्ल्यूएच)** को दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बेहतर बनाने हेतु स्थापित किया गया है।
- **आउटरीच शिविरों** की व्यवस्था की गई है ताकि जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बेहतर हो सके। इस मंच का उपयोग मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने, समुदाय की भागीदारी और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की ट्रैकिंग के लिए किया जाता है।
- **सुविधा केन्द्र आधारित नवजात परिचर्या** के अंतर्गत जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (एसएनसीयू), और प्राथमिक रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) स्थापित की गई हैं ताकि बीमार और छोटे बच्चों की देखभाल की जा सके।
- **नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित देखभाल** के अंतर्गत नवजात की घरेलू देखभाल (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की घरेलू देखभाल (एचबीवाईसी) कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर पर जाकर देखभाल की जाती है ताकि बाल पालन की पद्धतियाँ सुधारी जा सकें और बीमार नवजात व बच्चों की पहचान की जा सके।
- निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिये **सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएएनएस)** पहल वर्ष 2019 से निमोनिया के कारण बचपन की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिये लागू की गई है।
- **स्टॉप डायरिया अभियान** ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने और बाल डायरिया के कारण मृत्यु और बीमारी को कम करने हेतु कार्यान्वित किया गया है।

- **मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एमएए) कार्यक्रम** स्तनपान की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है, जिसमें शीघ्र स्तनपान की शुरुआत और पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान पर जोर दिया गया है।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)** 6 लाभार्थी आयु समूहों – बच्चे (6-59 माह), बच्चे (5-9 वर्ष), किशोर (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं (15-49 वर्ष) – में एनीमिया को जीवन चक्र दृष्टिकोण से कम करने के लिए 6 पहलों के माध्यम से लागू की जाती है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)** के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (रोग, कमी, दोष और विकासात्मक विलंब) की जांच की जाती है ताकि बाल मृत्यु को कम किया जा सके। इन बच्चों की पुष्टि और उपचार के लिए जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित किए गए हैं।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी)** सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित किए गए हैं ताकि गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) और चिकित्सीय जटिलताओं वाले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन-पेशेंट चिकित्सा और पोषण संबंधी देखभाल दी जा सके।
- **समग्र स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी)** स्थापित किए गए हैं ताकि नवजात गहन देखभाल इकाइयों और विशेष नवजात देखभाल इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पूर्व और कम वजन वाले बच्चों को सुरक्षित, पाश्चराइज किया गया मानव प्रदत्त दूध उपलब्ध कराया जा सके।
- **यूडब्ल्यूआईएन,** सभी सुपात्र लाभार्थियों पर नजर रखने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, नाम-आधारित डिजिटल रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग और सिस्टम पूरे देश में लागू किया गया है।
- **मिशन इंद्रधनुष** एक विशेष टीकाकरण अभियान है, जिसे यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में छूटे हुए और ड्रॉपआउट बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए चलाया जाता है, जिनमें दूरस्थ और वंचित क्षेत्र शामिल हैं।
- **विशेष टीकाकरण अभियान** पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत **राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनाईडी)**, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।
- **रणनीतिक पहल** जैसे कि जनसंपर्क, सामाजिक लामबंदी, सामुदायिक भागीदारी, पारिवारिक स्तर पर पारस्परिक संवाद और मीडिया की भागीदारी टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने हेतु अपनाए जाते हैं।
- राज्य टीकाकरण कार्यबल (एसटीएफआई) और जिला टीकाकरण कार्यबल (डीटीएफआई) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाते हैं।

(ख): इसका उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप **उत्तरदायी और जवाबदेह**, **समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं** की **सार्वभौमिक पहुँच** को सुनिश्चित करना है। यह मिशन तमिलनाडु सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को **आर्थिक और तकनीकी सहायता** प्रदान कर शहरी, ग्रामीण और जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से **गरीब और कमजोर वर्गों** को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सहायता करता है।

स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधन की दृष्टि से आवश्यकता-आधारित कार्य करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गई हैं:

- जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करने हेतु जनसंख्या मानदंडों में ढील दी गई है।
- जनजातीय/पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता के मानक को प्रति बस्ती एक आशा कार्यकर्ता तक शिथिल करने की लचीलापन की अनुमति राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई है।
- मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 एमएमयू के प्रावधान में छूट देकर जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम/दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले क्षेत्रों में प्रति जिले में 10 एमएमयू तक की छूट दी गई है
- प्रधानमंत्री जेएनएमएएन के तहत **मल्टी-पर्पज सेंटर** (एमपीसी) में मूलभूत दवाओं और जांच सुविधाओं के साथ **अतिरिक्त एएनएम** की व्यवस्था की गई है।
- पीएम जेएनएमएएन के तहत, तमिलनाडु के पीवीटीजी क्षेत्रों में कुल 105 एमएमयू कार्यरत हैं।

तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एनएचएम के तहत किए गए विशिष्ट हस्तक्षेप निम्नानुसार हैं:

- जिले में बीमार और गंभीर रूप से बीमार बच्चों की देखभाल हेतु एक नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू), 1 विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू), 3 नवजात स्थिरीकरण इकाई (एनबीएसयू) और 1 बाल चिकित्सा पुनर्जीवन और आपातकालीन चिकित्सा (पीआरईएम) इकाई कार्यरत।
- पीवीटीजी क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नौ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) तैनात किए गए हैं।
- तीर्थमलाई में **जनजातीय बर्थ वेटिंग रूम** स्थापित किए गए हैं, जहाँ गर्भवती महिलाएं प्रसव की अनुमानित तिथि से एक सप्ताह पहले एक परिचारक के साथ रह सकती हैं और संस्थागत देखभाल प्राप्त कर सकती हैं।
- जिले के **हरूर और पपिरेड्डीपट्टी ब्लॉकों** में **गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों** की **हीमोग्लोबिनोपैथीज (रक्त संबंधी विकारों)** की स्क्रीनिंग की जा रही है।
- सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन तमिलनाडु के चयनित जिलों में, जिसमें धर्मपुरी भी शामिल है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस रोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम, आशा को फॉलोअप विज़िट और परामर्श हेतु मानदेय के साथ किए जाते हैं।

(ग): तमिलनाडु में गैर-संचारी रोग (एनसीडी) जांच और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एनएचएम के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलें निम्नानुसार हैं:

- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) का उद्देश्य अवसंरचना मजबूत करना, मानव संसाधन विकास, प्रारंभिक जांच, उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा में रेफरल, उपचार और प्रबंधन, स्वास्थ्य संवर्धन तथा जागरूकता निर्माण है ताकि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम की जा सके।

- समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) पहल के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्य एनसीडी के लिए उनकी जांच हेतु लक्षित किया जाता है। 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सार्वभौमिक जांच के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एनसीडी जांच अभियान भी चलाया है।
- राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, **मधुमेह रोगियों के लिए जटिलता प्रबंधन कार्यक्रम** जैसे **रेटिनोपैथी (नेत्र संबंधी) और नेफ्रोपैथी (गुर्दा संबंधी)** जांच की जाती है।
- मानसिक विकारों जैसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए एनएचएम के माध्यम से तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को सतत परिचर्या और सहायता, औषधें, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले इनपेशेंट सुविधा का प्रावधान है।
- सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में उन्नयन करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। ऐसे आम जन मिशन में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सेवाओं के पैकेजों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है।
- डीएमएचपी तमिलनाडु राज्य के सभी 38 जिलों में स्थापित है। टेली मानस-2 राज्य प्रकोष्ठ पूरे राज्य में स्थापित और कार्यरत हैं।

******